<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>दिनांक: 12.06.2026</u>

अपराध से अर्जित आय को उसके वैध दावेदारों को वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांचाधीन एम/एस अजमेरा ग्रुप एवं अन्य के मामले में धनशोधन अपराध के पीड़ितों तथा वैध दावेदारों को ₹8.41 करोड़ मूल्य की संपत्तियों के प्रत्यावर्तन (Restitution) का आदेश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एम/एस अजमेरा ग्रुप, बेंगलुरु के प्रबंध निदेशक, निदेशकों तथा सहयोगियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज अनेक एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उक्त संस्था ने आम जनता से उनके निवेश पर अधिक रिटर्न देने का प्रलोभन देकर धनराशि प्राप्त की। तथापि, संस्था ने निवेशकों को न तो लाभांश का भुगतान किया और न ही जमा/निवेश की गई मूल धनराशि लौटाई, जिससे जनता के साथ धोखाधड़ी की गई।

ईडी की जांच में यह भी उजागर हुआ कि एम/एस अजमेरा ग्रुप के निदेशकों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के बैंक खातों में भारी मात्रा में धनराशि स्थानांतरित (साइफन) की गई थी। उक्त धनराशि का उपयोग उनके नाम पर विभिन्न संपत्तियों के क्रय हेतु किया गया।

जांच के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विभिन्न आरोपियों की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया तथा तत्पश्चात माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत प्रस्तुत की।

धन शोधन निवारण अधिनियम के उस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए, जिसके तहत अपराध से अर्जित आय को सद्भावनापूर्वक/वैध दावेदारों तथा धनशोधन अपराध के पीड़ितों को वापस दिलाया जाना है, ईडी ने इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों को सद्भावनापूर्वक/वैध दावेदारों एवं धनशोधन अपराध के पीड़ितों के पक्ष में मुक्त किए जाने हेतु माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय के समक्ष अपनी कोई आपत्ति न होने का निवेदन प्रस्तुत किया।

ईडी द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त निवेदन के आधार पर, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय ने दिनांक 09.06.2026 को आदेश पारित करते हुए कुर्क की गई अचल संपत्तियों को सद्भावनापूर्वक/वैध दावेदारों तथा धनशोधन अपराध के पीड़ितों को प्रत्यावर्तित किए जाने का निर्देश दिया।

वैध दावेदारों एवं पीड़ितों को संपत्तियों का यह प्रत्यावर्तन अपराध से अर्जित आय को प्रभावित व्यक्तियों तक वापस पहुंचाने के लिए ईडी द्वारा किए जा रहे सतत प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने तथा ऐसे अपराधों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के अपने संकल्प के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है।